भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

Government of India
Ministry of Commerce & Industry
SEEPZ Special Economic Zone Authority
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

F. No. E-OPT-11/27/2021-EO/05649 **Date: 27.05.2026**

PUBLIC NOTICE NO. 02 / 2026

Subject: Registration on Entity Locker Portal for Digital Access and Retrieval of SEEPZ-SEZ Documents – reg.

SEEPZ-SEZ के अंतर्गत कार्यरत सभी यूनिट्स, डेवलपर्स, सह-डेवलपर्स और अन्य हितधारकों का ध्यान 'एंटिटी लॉकर पोर्टल' पर पंजीकरण के संबंध में आकर्षित किया जाता है। संबंधित सभी पक्षों को इसके द्वारा निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

Attention is invited to all Units, Developers, Co-developers, and other stakeholders functioning under SEEPZ-SEZ regarding registration on the Entity Locker Portal. All concerned are hereby informed as under:

एंटिटी लॉकर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की एक पहल है, जो एक सुरक्षित, क्लाउड-आधारित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। यह संगठनों को आधिकारिक दस्तावेज़ों को विश्वसनीय और कुशल तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत करने, उन तक पहुँचने, उन्हें साझा करने और उनकी पुष्टि करने में सक्षम बनाता है।

Entity Locker, an initiative of the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), is a secure, cloud-based digital platform enabling organizations to store, access, share, and authenticate official documents electronically in a reliable and efficient manner.

यह देखा गया है कि इकाइयाँ अक्सर SEEPZ-SEZ द्वारा जारी आवंटन पत्रों, पट्टा विलेखों और अन्य दस्तावेजों

It has been observed that Units frequently approach the Office of the Development Commissioner for issuance of certified and/or duplicate copies of allotment letters, lease deeds, and other documents issued by SEEPZ-SEZ,

की प्रमाणित और/या डुप्लीकेट प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए विकास आयुक्त कार्यालय से संपर्क करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाएँ और विलंब होता है।

सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करने, कागज़-रहित शासन को बढ़ावा देने और व्यापार करने में सुगमता को बढ़ाने के उद्देश्य से, यह सूचित किया जाता है कि 'एंटिटी लॉकर पोर्टल' पर सफल पंजीकरण और लॉगिन के उपरांत, उपर्युक्त दस्तावेज़ संबंधित इकाई के खाते में डिजिटल रूप में उपलब्ध करा दिए जाएँगे। संबंधित संस्थाएँ आवश्यकतानुसार इन दस्तावेज़ों को एक्सेस, डाउनलोड और साझा कर सकती हैं।

तदनुसार, ऐसे दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए विकास आयुक्त के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता, अब से समाप्त मानी जाएगी; सिवाय उन मामलों के जहाँ इसकी विशेष रूप से आवश्यकता हो।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी यूनिट्स, डेवलपर्स, सह-डेवलपर्स और अन्य हितधारकों को यह सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट:
https://entity.digilocker.gov.in
के माध्यम से जल्द से जल्द 'एंटिटी लॉकर पोर्टल' पर अपना पंजीकरण पूरा कर लें।

Entity Locker की मुख्य विशेषताएं और लाभ:

1. संगठनात्मक दस्तावेजों का सुरक्षित

leading to avoidable administrative processing and delays.

In order to streamline service delivery, promote paperless governance, and enhance ease of doing business, it is hereby informed that, upon successful registration and login on the Entity Locker Portal, the aforesaid documents shall be made available in digital form in the respective Unit's account. Such documents may be accessed, downloaded, and shared by the concerned entities, as and when required.

Accordingly, the requirement of physical visits to the Office of the Development Commissioner for obtaining such documents shall, henceforth, stand dispensed with, except where specifically warranted.

In view of the above, all Units, Developers, Co-developers, and other stakeholders are hereby advised to complete their registration on the Entity Locker Portal at the earliest through the official website:
https://entity.digilocker.gov.in

Key Features and Benefits of Entity Locker:

1. Secure digital storage and retrieval of organizational documents;

डिजिटल भंडारण और पुनःप्राप्ति;

2. प्रमाणित डिजिटल सत्यापन और सरकारी एजेंसियों के साथ निर्बाध साझाकरण;
3. नियामक प्रक्रियाओं में बेहतर अनुपालन और पारदर्शिता; और
4. प्रसंस्करण समय और भौतिक दस्तावेज़ीकरण में कमी।

सभी संबंधित संस्थाओं को इसके द्वारा समय पर पंजीकरण और अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है।

इस संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, विकास आयुक्त कार्यालय, SEEPZ-SEZ से संपर्क किया जा सकता है। संबंधित संपर्क व्यक्ति का विवरण इस प्रकार है:

संपर्क व्यक्ति का नाम:	श्री अमित शिरवलकर
पदनाम:	IT एग्जीक्यूटिव
संपर्क नंबर:	9137813205

पूर्व में जारी किया गया सार्वजनिक नोटिस संख्या 01, दिनांक 16.04.2026 रद्द किया जाता है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

2. Authenticated digital verification and seamless sharing with Government agencies;
3. Improved compliance and transparency in regulatory processes; and
4. Reduction in processing time and physical documentation.

All concerned entities are hereby advised to ensure timely registration and compliance.

For any clarification in this regard, the Office of the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ may be contacted. The details of the concerned contact person are as follows:

Name of the Contact person:	Shri Amit Shirvalkar
Designation:	IT Executive
Contact Number:	9137813205

Earlier Public Notice no. 01 dated 16.04.2026 stands cancelled.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Digitally signed by
Mayur R Mankar
Date: 27-05-2026
11:10:34

(मयूर मानकर)
संयुक्त विकास आयुक्त
सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण

To:

1. कार्यालय आदेश फ़ाइल
2. कार्यालय आदेश रजिस्टर
3. डीसीओ और जेडीसीओ, डीडीसीओ, सीप्ज़-एसईज़ेड
4. सभी यूनिटधारक, सीप्ज़-एसईज़ेड
5. RISE ERP
6. वित्त अनुभाग (CA), सीप्ज़-एसईज़ेड
7. IT अनुभाग, सीप्ज़-एसईज़ेड